# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस**

**क्रमांक रीडर/2026/** 2091 **दिनांक** – 12.03.26

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 मोकमसिंह पुत्र राणसिंह 2 श्यामसिंह 3 समन्दरसिंह 4 सुरेन्द्रसिंह पिसरान पदमसिंह 5 बाईराजकंवर पत्नि पदमसिंह जाति राजपूत निवासी शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर। | | 1 गौरव बोथरा पुत्र प्रकाशचंद निवासी जटियों का पुराना वास, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत**

राजस्व आवेदन संख्या :–981/2025 दिनांक–20/02/2026

**आदेश**

**उपर्युक्त, प्रकरण मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1084/75 रकबा 2.6790 हैक्टेयर व खसरा संख्या 96 रकबा 8.6764 हैक्टेयर, भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2026/ 2092-95 दिनांक– 12.03.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मोकमसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण गौरव बोथरा पुत्र प्रकाशचंद निवासी जटियों का पुराना वास, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर